(43) आई०टी० मैनेजर

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या– 09/निधि–स्कीम (0104–मु0मं0से0नि0यो0)–02–13/2025 – 211(S) दिनांक– 26/02/20

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, भागलपुर।

विषय : मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–101–सेतु मॉग सं0–41, उपशीर्ष–0104 – मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, विषय शीर्ष– 0104.53.01 –मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड – **41-5054031010104** मतदेय के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

आदेश : चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0–2 में अंकित जिला के नाम के सामने स्तम्भ सं0 – 4 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹8,72,074/– (आठ लाख बहत्तर हजार चौहत्तर रूपये)** मात्र का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित उक्त जिला को वर्ष 2025–26 में अब तक कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0 – 5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय–व्यय 2025–26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. यह व्यय मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–101–सेतु मॉग सं0–41, उपशीर्ष–0104 – मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, विषय शीर्ष– 0104.53.01 –मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड – 41–5054031010104 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561/वि॰(2) दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 227/वि॰, दिनांक– 28.03.2025 एवं पत्रांक–235 /वि॰ दिनांक–01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 प्रमंडल/ निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–3758 दिनांक–31.05.17 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाए।

6 संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं0–4099(एस॰) दिनांक–11.05.2017, पत्र सं0–901(ई॰) दिनांक–08.02.2018 तथा पत्र सं0– 3401(ई॰) दिनांक–17.05.2018 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।

7 व्यय की राशि को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय। किसी तरह का अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटन से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का परियोजनावार सुस्पष्ट मासिक व्यय विवरणी अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भेजा जाय।

8 आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

9 इस राशि की निकासी के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी उक्त शीर्ष में लम्बित डी॰सी॰ विपत्रों का समायोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। लम्बित डी॰सी॰ विपत्रों के समायोजन के पश्चात् ही कोषागार से निकासी किया जाए।

10 आवंटित राशि का व्यय योजनाओं के प्रगति के अनुरूप किया जाय।

11 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण **दिनांक–07.03.2026** तक अवश्य कर दिया जाय।

12 प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

13 आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 09/निधि–स्कीम (0104–मु0मं0से0नि0यो0)–02–13/2025 – 211(3) दिनांक– 26/02/2026

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सचिव कोषांग, प0नि0वि0, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0 / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0 / संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / कार्यपालक अभियंता (बजट–2), प0नि0वि0/ आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–9 / लेखा शाखा, प0 नि0 वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

ज्ञाप संख्या– 09/निधि–स्कीम (0104–मु0मं0से0नि0यो0)–02–13/2025 – 211(3) दिनांक– 26/02/2026

क्र0 सं0	जिला का नाम	पूर्व में आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	0	8,72,074	8,72,074	भागलपुर समाहरणालय–20(प्र0) / 19.02.2026
	कुल	**0**	**8,72,074**	**8,72,074**	
	वर्त्तमान आवंटन (शब्दों में) **आठ लाख बहत्तर हजार चौहत्तर रूपये मात्र।**				

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।